रजिस्ट्री सं० डी० — 221 REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 —अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/ माघ 29, 1935 (शक) [खंड I
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/ MAGHA 29, 1935 (SAKA) [Vol. I

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक)

दि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साईंसेज, बंगलौर ऐक्ट, 2012; (2) दि प्रिवेंशन ऑफ मनी-लान्डरिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2012; (3) दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2012; (4) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2013; (5) दि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (6) दि नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट, 2013; (7) दि सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (8) दि कान्स्टीट्यूशन (शिडयूल्ड ट्राईब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (9) दि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लायमेंट एज़ मैन्युल स्केवेंजर एंड दियर रिहेबिलिटेशन ऐक्ट, 2013; (10) दि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2013; (11) दि वक्फ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (12) दि पार्लियामेंट (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2013; और (13) दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट एंड वेलीडेशन) ऐक्ट, 2013 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, February 18, 2014/*Magha* 29, 1935 (*Saka*)

The translation in Hindi of the following namely:—

The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, Act, 2012; (2) The Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2012; (3) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2012; (4) The Finance Act, 2013; (5) The National Highways Authority of India (Amendment) Act, 2013; (6) The National Food Security Act, 2013; (7) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Act, 2013; (8) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2013; (9) The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013; (10) The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013; (11) The Wakf (Amendment) Act, 2013; (12) The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013; and (13) The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 3)

[3 जनवरी, 2013]

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1967 का 37

धारा 2 का संशोधन।

2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ङक) को खंड (ङख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ङख) के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "आर्थिक" सुरक्षा के अंतर्गत वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्थायित्व, उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा भी है;';

(ii) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ङख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङग) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) कोई व्यष्टि,

(ii) कोई कंपनी,

(iii) कोई फर्म,

(iv) कोई संगठन या कोई व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,

(v) ऐसा प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, और

(vi) पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा ;';

(iii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "आतंकवाद के आगम" से,—

(i) सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी आतंकवादी कार्य के करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों, उस व्यक्ति का विचार किए बिना, जिसके नाम में ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाए जाते हैं ; या

(ii) कोई ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी आतंकवादी कार्य के लिए या किसी व्यष्टि आतंकवादी या किसी आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि "आतंकवाद के आगम" पद के अंतर्गत ऐसी कोई सम्पत्ति भी है, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है।';

(iv) खंड (ज) में, "जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी है," शब्दों के स्थान पर "जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी है, किंतु जो उस तक सीमित नहीं है," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "सुरक्षा" शब्द के पश्चात् ", आर्थिक सुरक्षा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) उच्च क्वालिटी के कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है ; या" ;

(iii) खंड (ग) में, "किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है"

शब्दों के स्थान पर "किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "लोक कृत्यकारी" से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी" से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात् कि ऐसी करेंसी तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए ।';

(v) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) आतंकवादी कार्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य आता है, जिससे दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संधियों में से किसी की परिधि के अंतर्गत अपराध गठित होता है और जो उसमें उस रूप में परिभाषित है ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 16क का लोप किया जाएगा । धारा 16क का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड ।

"17. जो कोई भारत में या विदेश में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से, चाहे किसी विधिसम्मत या विधिविरुद्ध स्रोत से, निधियां जुटाता है या निधियां उपलब्ध कराता है या संगृहीत करता है या उपलब्ध कराने का प्रयास करता है अथवा यह जानते हुए कि ऐसी निधियों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी आतंकवादी संगठन द्वारा या किसी आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी व्यष्टि आतंकवादी द्वारा कोई आतंकवादी कार्य करने के लिए, पूर्णतः या भागतः, उपयोग किए जाने की संभावना है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के लिए, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसी निधियों का ऐसे कार्य को करने के लिए वस्तुतः प्रयोग किया गया था अथवा नहीं, निधियां जुटाता है या संगृहीत करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) इसमें वर्णित किसी भी कार्य में भाग लेने, संगठित होने या उसका संचालन करने से अपराध गठित होगा ;

(ख) निधियां जुटाने के अंतर्गत उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से निधियां जुटाना या संगृहीत करना या उपलब्ध कराना भी है;

(ग) ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विनिर्दिष्टतया धारा 15 के अधीन नहीं आता है, किसी व्यष्टि आतंकवादी, आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन के फायदे के लिए या किसी रीति में निधियां जुटाने या संगृहीत करने या उसको उपलब्ध कराने को भी अपराध समझा जाएगा ।"।

नई धारा 22क, धारा 22ख और धारा 22ग का अंतःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कंपनियों द्वारा अपराध ।

'22क. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कंपनी के संप्रवर्तक भी हैं), जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत संप्रवर्तक भी हैं) इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समुचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध ।

22ख. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सोसाइटी का संप्रवर्तक या न्यास का व्यवस्थापक भी है), जो उस अपराध के किए जाने के समय उस सोसाइटी या न्यास के कारबार के संचालन के लिए उस सोसाइटी या न्यास का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह सोसाइटी या न्यास भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि

वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समुचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध सोसाइटी या न्यास के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

1860 का 21

(क) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है ;

1882 का 2

(ख) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या न्यासों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निकाय अभिप्रेत है ;

(ग) किसी सोसाइटी या न्यास के संबंध में, "निदेशक" से केंद्रीय या राज्य सरकार या समुचित कानूनी प्राधिकारी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पदेन सदस्य से भिन्न उसके शासी बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

कंपनियों, सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराधों के लिए दंड ।

22ग. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, यथास्थिति, किसी कंपनी या किसी सोसाइटी या किसी न्यास द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कंपनी या न्यास का संप्रवर्तक या न्यास का व्यवस्थापक भी है), जो उस अपराध के समय कारबार के संचालन के लिए भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसी अवधि के कारावास के लिए, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी, जो पांच करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा और जो दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।'।

धारा 23 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, "युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ को" शब्दों के स्थान पर "युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी को" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 5 के शीर्षक का संशोधन।

9. मूल अधिनियम के अध्याय 5 में, उसके शीर्षक में "आगमों का" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी किसी संपत्ति का, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 24 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

आतंकवाद के आगम के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसी किसी संपत्ति के प्रति, जिसका उपयोग आंतकवाद के लिए किया जाना आशयित है, निर्देश भी होगा।

'24. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "आतंकवाद के आगम" के प्रति सभी निर्देशों के अंतर्गत "ऐसी कोई संपत्ति, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है," के प्रति निर्देश भी है।

आतंकवाद के आगमों का समपहरण ।

24क. (1) कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के आगमों को धारण नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।

(2) आतंकवाद के आगम, चाहे वे किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हों और चाहे ऐसे आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग या अन्य व्यक्ति को अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित या सिद्धदोष ठहराया गया हो अथवा नहीं, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति में, समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे।

(3) जहां कार्यवाहियां इस धारा के अधीन प्रारंभ की गई हैं, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित आतंकवाद के आगमों के मूल्य के समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा।'।

धारा 33 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) जहां कोई व्यक्ति उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी से संबंधित किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित ऐसी उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के मूल्य के, जिसके अंतर्गत ऐसी करेंसी का अंकित मूल्य भी है ; जो उच्च क्वालिटी का होने के रूप में परिभाषित नहीं है, किंतु जो उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के साथ सामान्य अभिग्रहण के भागरूप है, समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति, अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित आतंकवाद के आगमों के मूल्य के समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा ।

(5) जहां कोई व्यक्ति, अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय इस आशय का आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की सभी संपत्ति का या उनमें से किसी का, जहां इस अधिनियम के अधीन विचारण अभियुक्त की मृत्यु के कारण या उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश समाप्त नहीं हो सकता, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तात्त्विक साक्ष्य के आधार पर अधिहरण कर लिया जाए ।"।

धारा 35 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "आदेश" शब्द के स्थान पर "अधिसूचना" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी या उसमें संशोधन कर सकेगी और इस प्रकार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।"।